न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/05/2017

भादर खां पुत्र इनायत खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–वादी

बनाम

1. भंवरू खां पुत्र लाबदी खां
2. मुमजात खां पुत्र लाबदी खां
3. इकबाल पुत्र ईस्माईल खां
4. महफुली पत्नि खां ईस्माईल खां
5. लाल खां पुत्र रसूल खां
6. इब्राहीम खां पुत्र रसूल खां
7. मुंशी खां पुत्र रसूल खां
8. खातून बानो पत्नि रसूल खां
9. कादर खां पुत्र इनायत खां
10. युनूस खां पुत्र इनायत खां
11. अनवर खां पुत्र इनायत खां
12. अलहमदो पत्नि इनायत खां

समस्त जाति कायमखानी निवासीगण ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

13. राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
14. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़–सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:– **दिनांक–14.05.2018**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 6.25 हैक्टैयर वाके मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है जिसे आगे वाद–पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम सम्बोधित किया जावेंगा। यह कि वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 12 का एक ही मुस्लिम परिवार के सदस्य है।

यह कि वादग्रस्त आराजी खसरा नमबर 312 रकबा 6.25 हैक्टेयर वाके ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है जो वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक, वंशानुगत की आराजी है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 का 1/3 हक हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 का 1/3 हक हिस्सा है इसी कदर इनका मौके पर कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग निरन्तर निर्बाध रुप से साधिकार है तथा अलग–अलग सींव–नींव कायम करके बाह्मी (पारिवारिक) बंटवारा कर रखा है लेकिन आराजी की खातेदारी गलत रुप से बिना किसी हक, अधिकार के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से बनी हुई है इससे पूर्व इनके पिता लाबदी खां पुत्र करीब खां के नाम से अकेले के नाम से खातेदारी गलत रुप से दर्ज हो गयी जबकि लाबदी खं के दो अन्य भाई रसूल खां व इनायत खां थे जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 12 के पूर्वज थे, वादग्रस्त आराजी पूर्व में इनके पूर्वज करीम खां पुत्र उमर खां के नाम से थी, खातेदारी अकेले लाबदी खां के बिना किसी हक, अधिकार के दर्ज कर दी जिसको स्व. इनायत के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 के नाम 1/3 हक हिस्सा तथा स्व. रसूल खां के वारिस प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के वारिसान के नाम 1/3 हक हिस्सा तथा स्व. लाबदी खां के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम 1/3 हक हिस्सा भूमि भाग है इसी कदर इनके नाम खातेदारी उद्घोषित फरमायी जावें।

यह कि वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादीगण सख्या 9 ता 12 के ना 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 नाम 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम 1/3 हिस्सा भूमि भाग पैतृक होने के आधार पर खातेदारी दर्ज की जानी आवश्यक है तथा आराजी का बाह्मी रुप से मौके पर विभाजन कर रखा है जो निम्न है– वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 का 1/3 हिस्सा पश्चिमी तरफ का है, प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 का 1/3 हिस्सा दक्षिणी–पूर्वी तरफ का है तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का उतरी–पूर्वी तरफ का है तथा इसी कदर मौके पर कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग चला आ रहा

Web Copy Not Official

ताकि इसी अनुसार इनका माप व सीमांकन से विभाजन किया जाकर अलग–अलग लगान व जुदागाना कब्जा निर्धारित फरमाया जावें।

यह कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 पैतृ वंशानुगत की आराजी है जिसकी खातेदारी इनके पूर्वज करीम खां के पश्चात अकेले लाबदी खां के दर्ज कर दी जबकि लाबदी खां का 1/3 हक हिस्सा ही था तथा वर्तमान में लाबदी खां के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी तो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 13 के हक, अधिकारों के समक्ष अकृत, शून्य व प्रभावहीन है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम गलत खातेदारी के आधार पर किसी प्रकार से कोई हक, अधिकार नहीं है तथा वादी के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा करने करवाने से एवं अपने नाम दर्ज खातेदारी को अन्तरण करने करवाने से स्वयं मय नौकर, चाकर, एजेंट, प्रतिनिधि बाज रहे तथा इसी आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से इन्हें प्रतिबंधित फरमाया जावें।

यह कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक वंशानुगत की आराजी होने के आधार पर वादी का वाद प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में बखूबी साबित होने से वादी का वाद पूर्णतय सबल है इस कारण वादग्रस्त आराजी में वादी अपने नाम से खातेदारी उद्घोषित करवाये जाने का अधिकारी है।

यह कि वादी ने अपने नाम से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकल लेने के लिये गया तो तब उन्होंने बतया कि आपके नाम खातेदारी दर्ज ही नहीं है तब दिनांक 09.02.2017 को जानकारी के पश्चात वादी को वाद कारण व हकनालिस हासिल हुआ तथा वाद संस्थित करना आवश्यक हुआ।

यह कि वाद में खातेदार हबली बानो फौत हो चुकी है तथा प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 उनके विधिक वारिस है जो खातेदार है एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 12 हक, अधिकार होने से एवं प्रतिवादी संख्या 13 व 14 आवश्यक निकाय व राजस्व अधिकारी भू–धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाये गये है, प्रतिवादी संख्या 13 ता 14 के खिलाफ कोई, सीधी सहायता नहीं चाही गयी है।

यह कि वादग्रस्त आराजी ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित होने से वाद सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। यह कि वाद–पत्र उचित न्यायशुल्क पर सावधि सादर प्रस्तुत है।

यह कि वादी/प्रार्थी इस्तदुआ करता है– (क) कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जावें कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 6.25 हैक्टेयर वाके ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है में वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 के नाम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम 1/3 हिस्सा मुताबिक सजरा खानदान काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित फरमाया जावें एवं खाता बनाम प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम अपने हक हिस्सा 1/3 से अधिक की खातेदारी निरस्त घोषित फरमायी जावें एवं आराजी का माप व सीमांकन से विभाजन किया जाकर पश्चिमी तरफ का 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 के नाम, तथा उतरी–पूर्वी तरफ का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम एवं दक्षिर्णी–पूर्वी तरफ का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के नाम अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमायी जावें। (ख) कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में दखलंदाजी करने से, विक्रय, रहन, अन्तरण करने बाज रहे एवं मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। (ग) कि अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी प्राप्त करने का अधिकार हो प्रतिवादीगण सं दिलवायी जावें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। जिसमें दिनांक 15.02.2017 को वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 4, 6, 8, 9 व 12 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। उसके बाद दिनांक 22.12.2017 को वादी व प्रतिवादीगण सं. 3 व 10 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। उक्त दोनों राजीनामा को उभयपक्ष ने सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया तथा मुताबिक वाद पत्र में अंकित अनुतोष के वादी का वाद डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प मंगलूणा में पेश हुई। केम्प स्थल पर पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें प्रस्तुत दोनों राजीनामा का अवलोकन किया। चूंकि प्रकरण दावा में प्रतिवादीगण सं. 5, 7, 11 की तलबी शेष है। परन्तु उक्त प्रति.सं. 5, 7, 11 के भाई उक्त राजीनामा में आ चुके है। अतः उक्त की तबली की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में उभयपक्ष सहमत है। जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन के बाद वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:आदेश:–

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 6.25 हैक्टेयर वाके ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है, में वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 के नाम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम 1/3 हिस्सा मुताबिक सजरा खानदान काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं वर्तमान खाता बनाम प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम अपने हक हिस्सा 1/3 से अधिक की खातेदारी निरस्त घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी का माप व सीमांकन से विभाजन किया जाकर पश्चिमी तरफ का 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 के नाम, तथा उतरी–पूर्वी तरफ का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम एवं दक्षिणी–पूर्वी तरफ का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के नाम अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों राजीनामा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को मेरे द्वारा केम्प कोर्ट मंगलूणा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– मंगलूणा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

भादर खां बनाम भंवरू आदि

दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर– 05/2017 **निर्णय दिनांक– 14.05.2018**

वादी..... व प्रतिवादीगण..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.05.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 6.25 हैक्टेयर वाके ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है, में वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 के नाम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम 1/3 हिस्सा मुताबिक सजरा खानदान काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं वर्तमान खाता बनाम प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम अपने हक हिस्सा 1/3 से अधिक की खातेदारी निरस्त घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी का माप व सीमांकन से विभाजन किया जाकर पश्चिमी तरफ का 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 के नाम, तथा उतरी–पूर्वी तरफ का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम एवं दक्षिर्णी–पूर्वी तरफ का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के नाम अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों राजीनामा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे।

यह आज तारीख 14.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– मंगलूणा

मुहर

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया		रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6. कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7. आदेशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– मंगलूणा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official